न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 3/25 GCMS NO 2025/102

1. कुमेर भारद्वाज पुत्र द्वारिका प्रसाद
2. धर्मेन्द्र पुत्र द्वारिका प्रसाद जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ससेडी तसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. घनश्याम
2. मुरारी
3. ओमप्रकाश
4. जुगल पुत्रान जौहरी जातियान माली निवासीयान ससेडी तहसील व जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 9/21 निर्णय दिनांक 7.4.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक प्रार्थीगण: श्री गजानन्द शर्मा

अभिभाषक अप्रार्थीगण: कोई उपस्थित नही।

दिनांक 14.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीलांट की और से निर्णय विरूद्व दिनांक 7.4.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश किया है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलांट कुमेर भारद्वाज द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मुकदमा न0 111/94/189/02 उनवानी द्वारिका बनाम जौहरी वगै0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट दिनांक 27.2.03 को खसरा न0 197,198,121/1223 स्थित ग्राम ससेडी के लिये वादी के पिता द्वारिका लाल पुत्र भगवंत जाति ब्राहम्ण निवासी ससेडी के हक मे डिक्री किया गया जिसमे पक्षकार इस प्रकार थे इस प्रकरण मे प्रार्थी के पिता द्वारिका लाल वादी थे एवं जौहरी पुत्र हण्डूराम,घनश्याम,मुरारी,ओमप्रकाश,लखपत लाल पिसरान जौहरी जाति माली निवासी ससेडी प्रतिवादीगण थे प्रतिवादी लखपत दौराने दावा फौत हो गया अन्य के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया गया। जिस डिक्री की आज तक कोई अपील नही की गई है। यह डिक्री अंतिम है इससे पहले डिक्रीदार की ओर से कोई भी प्रार्थना पत्र इजराय का पेश नही किया गया। प्रार्थी के पिता द्वारिका लाल का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी की ओर से प्रथम इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमे घनश्याम,मुरारी ,ओमप्रकाश व जुगल के विरूद्व डिक्री का निष्पादन चाहा गया है। अप्रार्थीगण ने अपने पुत्रो के साथ व परिवार के साथ मिलकर डण्डे के जोर पर दिनांक 20.7.21 को खसरा न0 197,198,121/1223 स्थित ग्राम ससेडी को प्रार्थी को जोतने नही दिया और झगडा करके मारपीट करने पर आमादा हो गये। अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती भूमि मे जोत लगा दी। अप्रार्थीगण उक्त डिक्री शुदा भूमि मे वादी के पुत्र प्रार्थी के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रहे है व अन्य पुत्रो से भी व्यवधान उत्पन्न करा रहे है। अप्रार्थीगण को आर्डर 21 नियम 11 (ए) सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार गिरफतार कर जेल भेजा जावे तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री की पालना की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का इजराय प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट / प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद तामिल के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर खारिज किया है कि इजराय पेश की गई उस समय डिक्री तैयार नही की गई थी। इस तथ्य के बाबत अपीलांट का विनम्र निवेदन कि आर्डर 2 नियम 2 सीपीसी के प्रावधानो के अन्तर्गत इजराय निर्णय के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है डिक्री होना आवश्यक नही है। आर्डर 2 सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार निर्णय व डिक्री के समान माना जाता है व इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय की नजीर भी है जिसमे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि इजराय प्रस्तुत करने के लिए डिक्री होना आवश्यक नही है निर्णय के आधार पर प्रस्तुत इजराय पोषनीय है। अदालत निर्णय के आधार पर ही इजराय की पालना कराने के लिए बाध्य है। इस प्रकार आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। इस प्रकरण के निर्णय की अंतिम लाईन मे यह लिखा हुआ है कि तदनुसार डिक्री जारी हो एवं निर्णय के आधार पर डिक्री बनाने का कार्य न्यायालय का है। न्यायालय के द्वारा अपनी स्वयं की गलती के लिए पक्षकार के हितो को समाप्त नही किया जा सकता है। इस प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.8.21 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर डिक्री बनाने की प्रार्थना की गई जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर डिक्री बनाई गई और निर्णय के समय डिक्री पत्रावली मे मौजूद थी ऐसी स्थिति मे न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र इजराय खारिज करने के आदेश विधि के विपरीत दिये गये है। निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय के है । निर्णय के बाद डिक्री बनाने का कार्य न्यायालय का है। न्यायालय को सो मोटो डिक्री जारी करनी चाहिए थी। डिक्री बनाने के लिए न्यायालय से पक्षकार को कहने की आवश्यकता नही है। यह न्यायालय का वैधानिक कर्तव्य है एवं स्वयं की भूल के लिए पक्षकार को दोषी नही ठहराया जा सकता है एवं इस आधार पर उसके अधिकारो की उपेक्षा करने का अधिकार नही है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक कर्तव्यो की पालना नही कर विधि की भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 27.02.03 की पालना विधि अनुसार कराई जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र संख्या 111/94/189/02 उनवांनी द्वारिका बनाम जौहरी वगै0 को दिनांक 27.2.03 को वादी के पक्ष मे निर्णित किया जाकर निर्णय के अंतिम पृष्टभाग मे स्पष्ट अंकित किया है कि तदनुसार डिक्री जारी हो। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तत्समय डिक्री जारी नही की गई। वादीगण के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.9.21 को डिक्री जारी की गई है जो पत्रावली मे उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का इजराय प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर खारिज किया है कि इजराय पेश करते समय डिक्री तैयार नही की गई थी। यहॉ यह तथ्य समाचीन है कि जिस न्यायालय द्वारा वाद पत्र डिक्री या खारिज किया जाता है तो उस वाद के निर्णय/निस्तारण के समय ही डिक्री जारी करनी चाहिए जो न्यायालय का दायित्व है। किसी न्यायालय की भूल के कारण पक्षकारो के हितो को समाप्त नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं की भूल को स्वीकार नही कर केवल मात्र इजराय के समय डिक्री तैयार नही होने का कथन कर प्रार्थीगण/अपीलांट का इजराय प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व रूप से खारिज किया है। जो निरस्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के इजराय प्रकरण संख्या 9/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 7.4.25 को अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 111/94/189/02 उनवांनी द्वारिका बनाम जौहरी वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 27.2.03 मे वर्णित आराजीयात बाबत किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो विधि अनुसार इजराय की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर